संख्या डब्ल्यू-11042/10/2015-डब्ल्यू-II

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

****

चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 6 फरवरी, 2015

सेवा में,
प्रधान सचिव/सचिव
प्रभारी ग्रामीण जल आपूर्ति
सभी राज्य

विषय: एसएलएसएससी बैठक की कार्यसूची

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य एसएलएसएससी बैठक की सूचना ब्यौर-वार कार्यसूची सहित पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले भेजेंगे। आपात स्थिति में भी कार्यसूची बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए। अन्यथा क्षेत्रीय अधिकारी एसएलएसएससी की बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे।

2. कार्यसूची में सामान्य सूचना के अतिरिक्त निम्निलखित सूचना भी शामिल होगी:

i. स्वीकृत की जाने वाली योजनाओं की कुल लागत के साथ-साथ आबंटन।
ii. कवर की जाने वाली बसावटों की संख्या।
iii. तकनीकी अनुमोदन की स्थिति।
iv. राज्य में बसावट कवरेज की वर्तमान स्थिति।
v. प्रस्तावित बसावटों में जलापूर्ति और स्वच्छता की मौजूदा स्थिति।

(राजेश कुमार)
निदेशक (जल)

<u>प्रतिलिपि:</u>

सभी क्षेत्रीय अधिकारी

- क्षेत्रीय अधिकारी एसएलएसएससी की बैठकों में भाग लेने के लिए जाते समय गाँवों में पेयजल एवं स्वच्छता का निरीक्षण करने के लिए अपनी इच्छा के कम से कम दो दूरस्थ गाँवों का दौरा करेंगे।
- क्षेत्रीय अधिकारी दौरा समाप्त हाने के एक सप्ताह के भीतर एसएलएसएससी निर्णयों और 2 गाँवों की स्थिति के बारे में टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे।

तकनीकी निदेशक, एनआईसी को मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए